

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

Email:- dm-pra-ri@nic.in

Ph- 01478-223366

क्रमांक:-आ.प्र.एवंसहा./आंधी-तूफान/2023-24/स्वीकृति/2023/1129-34

दिनांक: 28/12/2023

-: प्रशासनिक स्वीकृति :-

जिला प्रतापगढ़ के तहसील क्षेत्र अरनोद में आंधी-तूफान से कच्चा मकान आंशिक क्षति होने पर पीड़ित को क्षतिपूर्ति हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंषा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाया गया है ।

अतः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार अरनोद की अनुशंषा के आधार पर एवं राज्य आपदा मोचन कोष और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के वर्ष 2022-23 से 2025-26 के नवीन संशोधित मानदण्डों के बिन्दु संख्या ब (10)(ख)-2 में वर्णित प्रावधानानुरूप व कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार पीड़ित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि बतौर आंधी-तूफान से कच्चा मकान आंशिक क्षति होने से क्षतिपूर्ति हेतु एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

क्र.स.	पीड़ित का नाम व पता	पता	क्षति का विवरण	स्वीकृत राशि
1	रेशमा पति श्यामलाल मीणा	खजुरी, अरनोद	पशुबाड़ा	3000/-रु.
2	नानुराम पिता फुतिया मीणा	हिगलाट अरनोद	कच्चा आंशिक	4000/-रु.
3	मोतिया बाई पत्नी बाबर मीणा	हिगलाट अरनोद	कच्चा आंशिक	4000/-रु.
4	नदुडीबाई पत्नी छगनलाल मीणा	फतेहगढ़ अरनोद	कच्चा आंशिक	4000/-रु.
5	रतनलाल पुत्र नंदा मीणा	फतेहगढ़ अरनोद	कच्चा आंशिक	4000/-रु.
6	प्रभुदास पुत्र भगवान दास	चुपना अरनोद	कच्चा आंशिक	4000/-रु.
7	कालुसिंह पुत्र रामसिंह राजपुत	नौगावा अरनोद	कच्चा आंशिक	4000/-रु.
8	हिरालाल पुत्र सदारा मीणा	बेडमा अरनोद	कच्चा आंशिक	4000/-रु.
9	झमकलाल पुत्र वेस्ता मीणा	बेडमा अरनोद	कच्चा आंशिक	4000/-रु.
10	प्रेमबाई पत्नि पुष्कर मीणा	नौगावा अरनोद	कच्चा आंशिक	4000/-रु.
11	बाबुलाल पुत्र हरिराम चमार	चुपना अरनोद	कच्चा आंशिक	4000/-रु.
12	गंगा देवी पुत्र समरथ कुमावत	जाजली अरनोद	पक्का मकान	4000/-रु.
13	राजेश कुमार पुत्र जगदीश नाई	चुपना अरनोद	कच्चा आंशिक	4000/-रु.
14	कचन बाई पत्नि चम्पालाल मीणा	नौगावा अरनोद	कच्चा आंशिक	4000/-रु.
15	नारायणसिंह पुत्र नाहर सिंह राजपूत	मण्डावरा अरनोद	कच्चा आंशिक	4000/-रु.
16	इन्दरा बाई पत्नि गणेशराम मीणा	जाजली अरनोद	कच्चा आंशिक	4000/-रु.
17	रामप्रसाद पुत्र धुरा डोली	बडवास कला अरनोद	कच्चा आंशिक	4000/-रु.
18	सुगना बाई पत्नि नानालाल मीणा	बडवास कला अरनोद	कच्चा आंशिक	4000/-रु.
19	केशुराम पुत्र थावरा मीणा	बडवास कला अरनोद	कच्चा आंशिक	4000/-रु.
20	कचरूलाल पुत्र डितु मीणा	बडवास कला अरनोद	कच्चा आंशिक	4000/-रु.
21	लीला बाई पत्नि भगवानलाल डोगी	कोदीनेरा अरनोद	कच्चा आंशिक	4000/-रु.
22	राजमल पुत्र हीरालाल मीणा	बडवास कला अरनोद	कच्चा आंशिक	4000/-रु.
23	प्रेमकुवर पत्नि भेरुसिंह राजपुत	अरनोद अरनोद	कच्चा आंशिक	4000/-रु.
कुल योग				91000/-रु.

(अक्षरे इक्यानवे हजार रुपये मात्र)

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

Email:- dm-pra-ri@nic.in

Ph- 01478-223366

नोट:-

1. राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगा:

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02- बाढ़/चक्रावात, 113-घर की मरम्मत, पुनःनिर्माण हेतु सहायता (09)-बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/ पुनःनिर्माण के लिए सहायता, 07- आंशिक क्षतिग्रस्त घर, 12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)

2. राशि के आहरण एवं व्यय में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय-2 पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

3. आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।

4. स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावे।



(डॉ इन्द्रजीत यादव)

जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
प्रतापगढ़

दिनांक: 26/10/2023

क्रमांक:-आ.प्र.एवंसहा./आंधी-तूफान/2023-24/स्वीकृति/2023/

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी अरनोद।
4. तहसीलदार, अरनोद।
5. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
6. लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रभारी
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
प्रतापगढ़